संख्या-123/2024/312/35-1-2024

प्रेषक,

जे0एल0यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 13 मई, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-"2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-004-अनुसंधान-03 विकास अन्वेषणालय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-477.50 लाख (चार करोड़ सतहत्तर लाख पचास हजार मात्र) तथा अग्रगामी विकास प्रयोजना, इटावा के लिए अनुदान संख्या- 40 के लेखाशीर्षक- "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102 -सामुदायिक विकास-05-अग्रगामी विकास प्रयोजना,इटावा में प्राविधानित धनराशि रू0-127.00 लाख (एक करोड़ सत्ताईस लाख मात्र) को सुसंगत इकाईयों के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण में उल्लिखित मदों के समक्ष अंकित धनराशि-सीमा सहित, वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययों का वहन करने हेतु आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय में व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्डस आफ फाइनेंनसियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल व्यय/भुगतान आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिए गए निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(5) राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या- 40 के लेखाशीर्षक-"2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-004-अनुसंधान-03 विकास अन्वेषणालय तथा अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-"2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-05-अग्रगामी विकास प्रयोजना, इटावा के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिए गए निर्देशानुसार निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(जे0एल0यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-123/2024/312 (1)/35-1-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, क्लेक्ट्रेट कोषागार लखनऊ।
(4) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उत्तर प्रदेश शासन।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0एल0यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 312/35-1-2024 दिनांक: 13 मई, 2024 का संलग्नक

विवरण-1

(विकास अन्वेषणालय) **(रुपये लाख में)**

क्र0सं0	कोड नं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु कुल स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1	01	वेतन	290.00
2	03	मंहगाई भत्ता	159.50
3	55	मकान किराया भत्ता	28.00
		कुल योग-	477.50

(चार करोड़ सतहत्तर लाख पचास हजार मात्र)

विवरण-2

(अग्रगामी विकास प्रयोजना, इटावा)

(रुपये लाख में)

क्र0सं0	कोड नं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु कुल स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1	01	वेतन	80.00
2	03	मंहगाई भत्ता	44.00
3	55	मकान किराया भत्ता	3.00
		योग	127.00

(एक करोड़ सत्ताईस लाख मात्र)

(जे0एल0यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।